गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सुनियोजित विकास/मास्टर प्लान रोड हेतु राजस्व ग्राम नूरनगर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 572मि0 व 469मि0 की भूमि संबंधित भूस्वामियों से समझौते के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वामित्व/अंश सम्बंधी आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप से नोटिस के प्रकाशन तिथि के एक सप्ताह के अंदर भू अर्जन अनुभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। आपसी सहमति के आधार पर भूमि विक्रय हेतु भूस्वामी/खातेदारों द्वारा भूमि के विक्रय पत्र निष्पादन कराये जाने से पूर्व निम्नलिखित अभिलेख अपेक्षित होगें–

1. संबंधित भूमि की वर्तमान खसरा व खतौनी की तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित नकल।
2. संबंधित भूमि विषयक रजिस्ट्री कार्यालय से जारी 12 वर्षीय सर्च अभिलेख (बारह साला प्रमाण पत्र)।
3. जोत चकबंदी आकार पत्र 41 व 45।
4. संबंधित भूमि सीलिंग से प्रभावित न होने के बारे में संबंधित तहसील के तहसीलदार की आख्या।
5. विक्रय हेतु भूमि के विवादित न होने विषयक तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. भूमि के भूदान, ग्रामसभा, गर्वमेंट ग्रांट एक्ट, निष्क्रांत/शत्रु सम्पत्ति, राज्य सरकार भूमि से संबंधित न होने विषयक तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
7. तहसीलदार द्वारा अदेय प्रमाण पत्र।
8. भूमि बंधक न होने विषयक तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
10. रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर बंध पत्र।

विशेष कार्याधिकारी

E-mail: helplinegda@gmail.com f : @gdagzb t : @gdagzb
Helpline: 0120-3342433 Whatsapp:9818988807,
Website: www.gdaghaziabad.com

एक सुंदर शहर — हमारा संकल्प